



## जारी करना

- बैंक अपने विवेक से ग्राहक को डेबिट कार्ड ('कार्ड') जारी कर सकता है, जो भारत और विदेश में उपयोग के लिए वैध है। हालाँकि, कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा भुगतान के लिए वैध नहीं है। कार्ड के साथ ग्राहक को एक ATM पिन आवंटित किया जाता है। ग्राहक वैश्विक स्तर पर बैंक के ATM, NFS, भारत में कैशनेट नेटवर्क ATM और वीज़ा नेटवर्क ATM पर अपने खाते/खातों को एक्सेस कर सकता है। कार्ड का उपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों में खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कार्ड का उपयोग चुनिंदा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में POS पर नकद के लिए किया जा सकता है। कार्डधारक को कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। कार्ड का उपयोग केवल उस कार्डधारक द्वारा किया जा सकता है जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है और इसे किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। कार्डधारक कार्ड के किसी भी उपयोग या दुरुपयोग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

## मान्यता

- कार्ड के आगे के भाग पर दी गई तारीख तक कार्ड मान्य है। मान्यता अवधि समाप्त होने पर, यदि खाता सक्रिय है और उसमें ऋणात्मक शेष नहीं है, तो बैंक कार्ड को नई मान्यता अवधि वाले कार्ड के साथ बदल सकता है। कार्ड की समाप्ति के बाद कार्डधारक को कार्ड को इस तरह से काटकर/तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए कि उसका किसी भी ATM पर उपयोग न किया जा सके।

## कार्ड का खो जाना:

- अगर कार्ड खो जाता है / चोरी हो जाता है, तो कार्डधारक को तुरंत फोन बैंकिंग नंबर पर कॉल करके बैंक को सूचित करना चाहिए और कार्ड के खोने या चोरी होने की रिपोर्ट करनी चाहिए। ग्राहक को बैंक अधिकारियों से कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध करना चाहिए ताकि बैंक को ऐसी सूचना देने के बाद इसका उपयोग / दुरुपयोग न किया जा सके।
- विदेश में कार्ड खोने की स्थिति में, कार्डधारक को बैंक के फोन बैंकिंग नंबर या वीज़ा ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस सर्विस (GCAS) नंबर पर कॉल करके कार्ड खोने या चोरी होने की सूचना देनी होगी और VISA अधिकारियों से कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध करना होगा, ताकि ऐसी रिपोर्टिंग के बाद इसका उपयोग/दुरुपयोग न किया जा सके। वीज़ा GCAS कॉल इन नंबर [www.visa.com](http://www.visa.com) पर उपलब्ध हैं। बैंक या वीज़ा GCAS सूचना मिलने पर और कार्डधारक की पहचान के पर्याप्त सत्यापन के बाद कार्ड को हॉट लिस्ट में डाल देगा।
- इसके अतिरिक्त कार्डधारक को स्थानीय पुलिस के पास एक रिपोर्ट भी दर्ज करानी चाहिए और उसकी एक वास्तविक प्रतिलिपि बैंक को भेजनी चाहिए।
- उपरोक्त निर्धारित तरीकों से नुकसान की सूचना प्राप्त होने तक ग्राहक कार्ड पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, ग्राहक समझता है कि ग्राहक निर्धारित तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से बैंक को सूचना भेजने के बाद जब तक कि वह बैंक तक नहीं पहुंच जाता और कार्ड बैंक द्वारा हॉट-लिस्ट नहीं कर दिया जाता तब तक कार्ड के उपयोग या दुरुपयोग से होने वाले व्यय, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- कार्ड की हॉट लिस्टिंग के लिए बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश को रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही कार्ड खो जाने की सूचना के बाद कार्ड

- ग्राहक के खाते से डेबिट करने का अधिकार: ग्राहक बैंक को बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार अपने खाते से की गई निकासी, स्थानांतरण या किसी अन्य नकद लेनदेन की राशि और शुल्क जो कार्ड के उपयोग से प्रभावित होता है, जो समय-समय पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए लगाया जा सकता है उसे डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसे सभी लेनदेन और संबंधित शुल्क खाते के सभी ग्राहकों पर बाध्यकारी होंगे। गैर-व्यक्तिगत खातों के मामले में, ऐसे गैर-व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा विधिवत अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा कार्ड का उपयोग ग्राहक पर बाध्यकारी होगा और बैंक कार्ड धारक द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से ग्राहक को होने वाले किसी भी नुकसान या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- सप्लीमेंटरी कार्ड: ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक अपने विवेकानुसार एक ही ग्राहक को एक से अधिक कार्ड जारी कर सकता है। ऐसा प्रत्येक सप्लीमेंटरी कार्ड ग्राहक के खाते से जुड़ा होगा। किसी खाते के संबंध में जारी किए गए सभी कार्ड पर सभी लेन-देन ग्राहक पर पूर्णतः बाध्यकारी होंगे और वह यह दावा करने के हकदार नहीं होगा कि किसी भी कार्ड पर कोई लेन-देन उसके द्वारा अधिकृत नहीं था। बैंक सप्लीमेंटरी कार्ड जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ऐड ऑन कार्ड: ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक अपने विवेकानुसार ऐड ऑन कार्ड जारी कर सकता है। ऐड ऑन कार्डधारक सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है (बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ग्राहक द्वारा निर्धारित विशिष्ट सीमाओं तक)। ऐड-ऑन कार्ड द्वारा वहन किए गए या उसके लिए लागू सभी शुल्क ग्राहक द्वारा वहन किए गए शुल्क माने जाएंगे, जो ऐड ऑन कार्ड के उपयोग से या ऐड ऑन कार्डधारक द्वारा किए गए सभी लेन-देन के संबंध में सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

#### इमेज डेबिट कार्ड जारी करना

- इमेज डेबिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा आवेदन के अनुमोदन के 10 कार्य दिवस के भीतर कार्डधारक द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट संचार पते पर भेज दिया जाएगा। बैंक अपने विवेकानुसार आवेदन स्वीकार करने या कार्डधारक को कार्ड जारी करने से मना कर सकता है।
- कार्डधारक इमेज डेबिट कार्ड की इमेज को वेबसाइट पर एक आवेदन डालकर नए अनुरोध के माध्यम से बदल सकता है।
- ऐसे मामले में जहां इमेज डेबिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, और रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्डधारक को यह निर्दिष्ट करना होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला नया कार्ड, कार्डधारक द्वारा रखे गए वर्तमान इमेज डेबिट कार्ड के समान ही इमेज वाला चाहिए या कार्डधारक बिना किसी इमेज के स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड जारी करने का अनुरोध कर रहा है। यदि कार्डधारक कोटक महिंद्रा बैंक को इसके बारे में निर्देश नहीं देता है, तो कार्डधारक को पिछले कार्ड के समान इमेज वाला कार्ड प्राप्त होगा।
- इमेज डेबिट कार्ड की अवधि समाप्त होने पर, कार्डधारक को बिना किसी इमेज के एक नया स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। यदि कार्डधारक को इमेज डेबिट कार्ड की आवश्यकता है, तो वह कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

#### मालिकी

- कार्ड हमेशा बैंक की संपत्ति रहेगा और कार्डधारक को इसे तुरंत बैंक को वापस करना होगा या बैंक द्वारा इस संबंध में मांग किए जाने पर या खाता बंद किए जाने पर इसे बैंक को वापस करना होगा। कार्ड के किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में, बैंक कार्डधारक को कोई सूचना दिए बिना कार्ड को जब्त/कैप्चर/हॉटलिस्ट/निष्क्रिय करने या कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- नए डेबिट कार्ड में अपग्रेड करने पर, मौजूदा डेबिट कार्ड सक्रिय बना रहेगा।
- खाता नामिती को डेबिट कार्ड और लिंक्ड बीमा दावों के लिए डिफ़ॉल्ट नामिती माना जाएगा।

## खातों को लिंक करना

- ग्राहक के सभी खाते, चाहे वे मौजूदा हों या भविष्य में खोले जाएँगे, यदि वे परिचालन अधिदेश के अनुसार पात्र हैं, तो वे स्वचालित रूप से कार्ड से जुड़ जाएँगे, जब तक कि ग्राहक द्वारा अन्यथा विशेष रूप से निर्देश न दिया गया हो। यदि ग्राहक के पास अपने कार्ड से जुड़े एक से अधिक खाते हैं, तो डेबिट कार्ड से जुड़ा प्राथमिक खाता पिछले 15 दिनों में खोला गया पात्र खाता होगा या CRN से जुड़ा या बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार सबसे पुराना पात्र खाता होगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने डेबिट कार्ड से जुड़ने के लिए प्राथमिक खाते को चुनकर सेट भी कर सकता है। ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से बैंक को निर्देश देकर किसी अन्य खाते को अपना प्राथमिक खाता बना सकता है। ग्राहक बैंक के किसी भी ATM पर सभी खातों को एक्सेस कर सकता है, हालाँकि, केवल प्राथमिक खाते को ही अन्य बैंक के ATM/POS नेटवर्क पर एक्सेस किया जा सकता है।
- ATM/POS नेटवर्क
- यह कार्ड किसी भी वीज़ा प्लस / कैशनेट / NFS ATM नेटवर्क पर स्वीकार्य है जो अन्य बैंकों से संबंधित है और विदेशों में VISA स्वीकार करने वाले सभी ATM पर स्वीकार्य है। हालाँकि, यह कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा भुगतान के लिए मान्य नहीं है। बैंक अपने विवेक से, कार्डधारक की सुविधा और उपयोग के लिए साझा नेटवर्क के माध्यम से कार्डधारक को ATM, POS और/या अन्य साधन उपलब्ध करा सकता है। बैंक ऐसी सुविधाओं के लिए अलग से शुल्क लगाएगा जिसकी घोषणा समय-समय पर की जाएगी। ऐसे ATM पर दिए जाने वाले लेन-देन का प्रकार बैंक के अपने नेटवर्क पर दिए जाने वाले लेन-देन से भिन्न हो सकता है। बैंक केवल न्यूनतम लेन-देन सेट का समर्थन करेगा जो अन्य नेटवर्क से संबंधित ATM पर ऑफर किया जाएगा। बैंक कार्डधारक को बिना किसी सूचना के लेन-देन की सीमा को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यदि कार्डधारक को किसी वीज़ा/प्लस / कैशनेट / NFS ATM नेटवर्क प्रतिष्ठान के बारे में कोई शिकायत है, तो कार्डधारक को ऐसे प्रतिष्ठान के साथ मामले का समाधान करना चाहिए और ऐसा न करने पर उसे बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। हालाँकि कार्डधारक को इस शिकायत के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
- नॉन-कोटक ATM के उपयोग के मामले में, लेन-देन नॉन-कोटक ATM के स्वामित्व वाले बैंक (जिसे आगे "अधिग्रहणकर्ता बैंक" कहा जाएगा) की जिम्मेदारी है। हालाँकि, यदि नॉन-कोटक ATM में कम नकदी निकलती है, तो कार्डधारक को बैंक के विवेक पर उसके अनुरोध के आधार पर खाते में क्रेडिट दिया जा सकता है। यदि अधिग्रहणकर्ता बैंक ऐसी किसी कम/अधिक नकदी निकलने पर विवाद करता है, तो बैंक विवादित राशि की सीमा तक कार्डधारक के खाते से डेबिट करेगा। यदि कार्डधारक के खाते में बैंक द्वारा ऐसी डेबिट के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो कार्डधारक बैंक द्वारा संपर्क किए जाने के दो कार्य दिवस के भीतर अपने खाते में ऐसी कमी वाली राशि जमा करने का वचन देता है।

## कार्ड का सम्मान करना

- तकनीकी खराबी/अप्रत्याशित घटना या अन्य कारणों से या ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के कारण से अगर कार्ड का सम्मान वांछित तरीके से नहीं किया जाता है, तो बैंक किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, लेनदेन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए भारतीय कानून के प्रावधानों के अधीन मूल राशि और ब्याज की हानि तक सीमित है।

## भारत के बाहर कार्ड का उपयोग

- भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों में कार्ड का उपयोग भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू विनियमों के अधीन है, और सामान्य तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि RBI द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई हो और उसमें निर्धारित सीमाएँ हों। FEMA/RBI/GOI दिशानिर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्डधारक की है। ग्राहक इन नियमों और विनियमों के उल्लंघन में उसके द्वारा गलत तरीके से उपयोग किए जाने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और बैंक को किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, रूपांतरण, किसी भी अन्य वित्तीय शुल्क की भरपाई करने के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है जो बैंक को ऐसे गलत उपयोग के कारण हो सकता है और/या भुगतान पड़ सकता है।

## व्यापारी स्थान पर उपयोग

- कार्ड को सामान्यतः भारत और विदेश में स्थित उन सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा मान्य किया जाएगा, जिनके पास वीज़ा मार्क प्रदर्शित करने वाले POS टर्मिनल हैं। कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और ऐसे लेनदेन के लिए कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग को POS टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित चार्ज स्लिप/लेनदेन स्लिप के रूप में समझा जाता है। कार्ड तभी मान्य होगा, जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर होंगे। जब POS टर्मिनल बिक्री स्लिप तैयार करता है और कार्डधारक द्वारा बिक्री स्लिप पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो लेनदेन पूर्ण माना जाता है। लेनदेन की राशि कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते से तुरंत डेबिट हो जाती है। कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड का उपयोग किसी विशेष खरीद के भुगतान के लिए व्यापारी प्रतिष्ठान में उचित तरीके से किया जाए। ग्राहक द्वारा कार्ड का उपयोग किए जाने पर प्रत्येक बार बिक्री स्लिप अपने पास रख ली जाएगी और कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का एक से अधिक बार उपयोग न हो।
- बैंक कार्डधारक द्वारा व्यापारी के साथ किए गए किसी भी लेन-देन के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें माल और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है। अगर कार्डधारक को किसी व्यापारी प्रतिष्ठान या किसी व्यापारी से खरीदे गए माल या सेवा के संबंध में कोई शिकायत है, तो कार्डधारक को मामले को व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ सुलझाना चाहिए और ऐसा न करने पर उसे बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि, कार्डधारक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
- बैंक किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए किसी भी अधिभार तथा लेनदेन राशि से कार्डधारक के खाते में डेबिट किए गए किसी भी अधिभार के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। बैंक अतिरिक्त शुल्क पर बिक्री पर्ची की प्रतियां प्रदान कर सकता है। बैंक द्वारा भुगतान के लिए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई अन्य शुल्क या अन्य भुगतान अनुरोध इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि ऐसे अनुरोध पर दर्ज शुल्क, उस शुल्क या अन्य अनुरोध में निर्दिष्ट कार्डधारक द्वारा, जैसा भी मामला हो, कार्ड के उपयोग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर उचित रूप से व्यय किया गया था, जिसके लिए प्रमाण का दायित्व कार्डधारक पर होगा, सिवाय इसके कि कार्ड खो गया हो, चोरी हो गया हो या धोखाधड़ी से उसका दुरुपयोग किया गया हो। यदि कोई व्यापारी किसी त्रुटि या माल वापसी के कारण पूर्ण किए गए लेनदेन को रद्द करना चाहता है, तो व्यापारी द्वारा पहले की बिक्री रसीद को रद्द किया जाना चाहिए और रद्द की गई रसीद की प्रति उसके पास होनी चाहिए।
- किसी भी व्यापारी/साधन त्रुटि या संचार लिंक के कारण सभी रिफंड और समायोजन मैनुअल रूप से संसाधित किए जाने चाहिए और उचित सत्यापन के बाद और लागू वीज़ा नियमों और विनियमों के अनुसार खाते में जमा किए जाएंगे। ग्राहक इस बात से सहमत है कि इस दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट को इस रिफंड पर विचार किए बिना केवल खाते में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। ग्राहक भुगतान निर्देशों का अनादर करने के ऐसे कृत्यों से बैंक को क्षतिपूर्ति भी देता है।
- कार्डधारक की जानकारी: बैंक के वैधानिक दायित्वों के कारण बैंक को अन्य संस्थाओं/एजेंसियों/स्थानीय प्राधिकारियों को कार्डधारक के बैंक खाते/खातों से संबंधित ऐसी जानकारी को, जो किसी ATM या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में उसकी भागीदारी के संबंध में या आवश्यक या उपयुक्त हो, सख्त गोपनीयता के साथ प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## ATM के माध्यम से जमा करना

- नकद या चेक जमा करने की राशि बैंक द्वारा सत्यापन के अधीन होगी और यह सत्यापित राशि अंतिम होगी तथा ग्राहक पर बाध्यकारी होगी। (i) ATM में जमा की गई नकद राशि का क्रेडिट ग्राहक को अगले कार्य दिवस पर उपलब्ध होगा, तथा (ii) चेक जमा करने की राशि ग्राहक को तब उपलब्ध होगी जब चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा विधिवत किया गया हो। जमा करते समय ATM द्वारा जारी किया गया विवरण केवल वही दर्शाता है जो कार्डधारक ने जमा करने का दावा किया है तथा यह बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा। अगर ऐसी जमा राशि में गंदे, कटे-फटे नोट हैं, तो ऐसी जमा राशि की स्वीकृति मुद्रा नोट वापसी नियमों के अनुसार RBI द्वारा अंतिम स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति के अधीन होगी। विदेशी मुद्रा नकद/चेक या कोई अन्य जमा राशि, जो अस्वीकार्य है, ग्राहक की लागत, जोखिम तथा जिम्मेदारी पर वापस की जाएगी।

ग्लोबल कार्डहोल्डर असिस्टेंस सर्विस (वीज़ा ग्लोबल इमरजेंसी असिस्टेंस हेल्पलाइन)

- ग्राहक समझता है कि बहुभाषी वीज़ा इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विस प्रोग्राम वीज़ा कार्डधारकों को विदेश यात्रा के दौरान दुनिया भर में इमरजेंसी रेफरल असिस्टेंस प्रदान करता है। इनमें कानूनी, चिकित्सा और अन्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आपातकालीन कार्ड रिप्लेसमेंट और असिस्टेंस प्रोग्राम की सेवाओं का संचार और व्यवस्था एक तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती है और वीज़ा इंटरनेशनल द्वारा भुगतान किया जाता है और कार्डधारक उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी भी और सभी चिकित्सा, कानूनी या अन्य सेवाओं की लागत के लिए जिम्मेदार होता है। कार्डधारक वीज़ा को कार्डधारक की पहचान के बारे में संतुष्ट करके इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकालीन कार्ड रिप्लेसमेंट का लाभ भी उठा सकता है।
- वीज़ा द्वारा आपातकालीन कार्ड रिप्लेसमेंट तब जारी किया जा सकता है जब कार्डधारक विदेश में अपना कार्ड खो देता है। आपातकालीन कार्ड केवल बिक्री केन्द्रों (POS) पर काम करेगा, ATM पर नहीं। भारत लौटने के बाद कार्डधारक को व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया आपातकालीन कार्ड बैंक को सौंपना होगा। ध्यान में रखें और जैसा कि यहां बताया गया है, को छोड़कर, कार्ड के उपयोग से संबंधित सभी नियम और शर्तें ऐसे आपातकालीन कार्ड पर भी लागू होंगी।
- कार्ड को हॉट लिस्टिंग करने के लिए बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश को रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही खोया हुआ कार्ड बाद में मिल जाए। ऐसे मामले में, कार्डधारक कार्ड को नष्ट कर देगा और ऐसा न करने के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

वीज़ा कंसीयज सर्विस - सिग्रेचर और इनफिनिट डेबिट कार्डधारकों के लिए लागू।

- पेरिस के लिए उड़ान की व्यवस्था करना, हांगकांग में एक रेस्तरां की सिफारिश करना, मिलान में ओपेरा टिकट की व्यवस्था करना या घर से दूर एक विश्वसनीय ड्राई क्लीनर का सुझाव देना जैसी सेवाएँ उपलब्ध सेवाओं में से कुछ हैं। इसके लिए बस एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत होती है, कभी भी, दुनिया में कहीं भी। वीज़ा प्लेटिनम कस्टमर सेंटर (Visa Platinum Customer Centre, VPCC) में पेशेवर लोग 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं।
- कोटक बैंक और वीज़ा, कंसीयज सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई या उससे प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न ही इसकी गारंटी देते हैं, न ही कोटक बैंक और वीज़ा कार्डधारक द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई सेवाओं की अपर्याप्तता या उत्पादों में किसी कमी के लिए उत्तरदायी हैं।
- कार्डधारक अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि, इस प्रस्ताव से उत्पन्न या इसके संबंध में या अन्यथा इससे संबंधित कोई भी विवाद, यदि कोई हो, केवल मुंबई के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा, भले ही अन्य क्षेत्रों के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का समवर्ती या समान क्षेत्राधिकार हो और ऐसे विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आज तक संशोधित) के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

फ्यूल सरचार्ज

- गोल्ड, प्लैटिनम, प्रिवी प्लैटिनम, बिजनेस गोल्ड, बिजनेस प्लैटिनम, सिग्रेचर और प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए, वर्तमान में, बैंक ने फ्यूल सरचार्ज (वर्तमान में 2.5%) माफ करने का फैसला किया है। बैंक भविष्य में ग्राहक को पूर्व सूचना देकर फ्यूल सरचार्ज माफी वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। Visa Card Offers

#### वीज़ा कार्ड ऑफ़र

- डेबिट कार्ड में वीज़ा द्वारा टाई-अप के माध्यम से समर्थित प्रीमियम ऑफ़रिंग भी है जो डेबिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं को वीज़ा डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदी या प्राप्त की गई सेवाओं और उत्पादों पर छूट प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये विभिन्न श्रेणियों जैसे कि जीवनशैली, बढ़िया भोजन, यात्रा और स्वास्थ्य सेवा में हैं। कार्डधारक समझता है कि ये ऑफ़र केवल डेबिट कार्ड के उपयोग पर लागू होते हैं और बैंक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य कार्ड के उपयोग पर नहीं।

#### बीमा

- बैंक कोटक डेबिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों को बीमा प्रदान करता है। प्रदान किए गए बीमा का विवरण <https://www.kotak.com/en/personal-banking/cards/debit-cards/debit-card-services/insurnace-on-debit-card.html> पर देखा जा सकता है।